

प्राक्कथन

इस प्रतिवेदन (31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा- 2012-13 की संख्या 21) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। प्रतिवेदन में भारतीय रेल में पर्यावरण प्रबन्धन-स्टेशनों, रेलगाड़ियों और रेल पथों की समीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल की गई आपत्तियाँ 2011-12 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के साथ-साथ पूर्व वर्षों में गई लेखापरीक्षा के परिणाम जिन्हें पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका के आधार पर हैं।